होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक 1–13/327/स्था(3)/2015

प्रति,

कैम्प भोपाल, दिनांक 16 जुलाई, 2015

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन, वाणिज्यिक कर, जेल, परिवहन विभाग,
मंत्रालय–भोपाल ।

विषय :– होमगार्ड के स्वयंसेवी नगर सैनिकों को शासकीय सेवाओं में आरक्षण दिए जाने बावत ।

सन्दर्भ :– मध्यप्रदेश शासन, सामान्य विभाग का पत्र क्रमांक सी–3/04/2013/1/3, दिनांक 14 अगस्त, 2014 ।

—::—

विषयांकित प्रकरण मे शासन के सन्दर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी–3/04/2013/1/3, दिनांक 14 अगस्त, 2014 (सुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न) द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिकों के लिए निम्नांकित विभागों में उनके सामने अंकित पदों में सीधी भर्ती में 15 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत आरक्षण रखे जाने के निर्देश दिए हैं :–

स0क्र0	विभाग	पद
1	वन विभाग	वन रक्षक
2	वाणिज्यिक कर विभाग	आरक्षक
3	जेल विभाग	प्रहरी
4	परिवहन विभाग	आरक्षक

2– सामान्य प्रशासन विभाग ने सन्दर्भित पत्र द्वारा सम्बन्धित विभागों को उपरोक्त परिपत्र (पत्र क्रमांक सी–3/04/2013/1/3, दिनांक 14 अगस्त, 2014) के अनुसार अपने विभागीय भर्ती नियमों में संशोधन करना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं । अतः शासन के निर्देश के अनुक्रम में होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिकों के लिए भर्ती हेतु उपरोक्तानुसार दिए गए 30 प्रतिशत आरक्षक का आपके विभाग के भर्ती नियमों में किए गए के संशोधन की प्रति कृपया इस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

(मैथिली शरण गुप्त)
महानिदेशक